प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छब्बीस'

[31/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 7899]

परिशिष्ट–1

जांच प्रतिवेदन

आज दिनांक 30/07/2014 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 के आदेश क्रमांक/80/शिकायत दिनांक 21/01/2014 के निर्देशन में मौके पर सरई अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्य का ग्रामवासियों एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव के समक्ष किया गया एवं ग्रामवासियों से किये गये कार्य के सम्बन्ध में बिन्दुवार जानकारी एवं अभिलेख अनुसार इस प्रकार है :–

1. ग्राम पंचायत सरई में कोलान टोला से संकर्षण तिवारी के घर तक मिट्टी मुरमीकरण कार्य एन.आर.इ.जी.एस. मद से राशि 19.91 लाख का स्वीकृत है निर्माण एजेन्सी लोक नि. वि. है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति रूपये 19.91 लाख, कार्यपालन यंत्री पी.डब्लू.डी (सिंगरौली) द्वारा क्र0 463 दिनांक 26/11/2009 को प्रदाय की गई है एवं प्रशासकीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक/1581/रा.ग्रा.रो.गा.स्कीम म.प्र./पं.ग्रा.वि/2009–10 सिंगरौली दिनांक 18/12/2009 को की गई। उपयंत्री लोक निर्माण विभाग श्री डी. के. मिश्रा द्वारा कार्य का मूल्यांकन रूपये 18.76 किया गया है। जिसका एम.बी. नम्बर 157605 में दर्ज है।

2. उपयंत्री द्वारा कार्य का मूल्यांकन 18.76 बताया है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि कार्य अप्रैल 2010 में प्रारम्भ किया गया तथा जनवरी 2013 में पूर्ण हुआ है 2605 मीटर लम्बाई में मिट्टी तथा मुरमीकरण कार्य हुआ है, उपयंत्री एवं ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है।

3. समयपाल एवं उपयंत्री श्री डी. के. मिश्रा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में 25 नग मस्टर रोल उपयोग किये गये है। शिकायतकर्ता द्वारा एक मस्टररोल की संख्या 96152421 है। क्रम संख्या 34 पर रामसिंह कुशवाहा का नाम बताया गया है जबकि उस क्रमांक पर सुमिरन–भरोसा है। इसी प्रकार क्रमसंख्या 35 पर रामवाई का नाम शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन में दिया गया है जबकि रायरोन–विश्वनाथ मस्टर पर दर्ज है। क्रमांक 62 पर छोहन कोल का नाम दर्ज होना शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया जबकि एन.एम.आर. क्रमांक 96152421 की छायाप्रति में मुन्नालाल पिता गिरधारी है। इसी प्रकार क्रम संख्या 65 पर शिकायतकर्ता द्वा शेबमन कोल का नाम दर्ज बताया गया जबकि इसी क्रम 65 पर पवन कुमार पिता ईश्वरदीन नाम है। शिकायतकर्ता द्वारा क्रमांक 68 पर चन्द्रशेखर का नाम दर्ज बताया गया जबकि 96152421 एन.एम.आर. की छायाप्रति में सुचिता–कार्तिकेय नाम दर्ज है। इसी प्रकार 64 क्रमांक पर मनधरिया साकेत बताया गया है छायाप्रति मस्टर में सुभाष–ईश्वरदीन है।

(69)

4. शिकायतकर्ता द्वारा वर्णित नाम एन.एम.आर. की छायाप्रति अवलोकन करने पर नही पाया जाता है। आनलाइन में त्रुटि होने की सम्भावना प्रतीत होती है मौके पर श्रमिकों द्वारा बताया गया कि इन लोगों द्वारा कार्य किया गया है। समय–समय शासन द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक प्राप्त किये है।

5. शिकायतकर्ता की शिकायत कोलान टोला से संकर्षण तिवारी के घर तक मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 2650 मीटर का कार्य कराया जाना था अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित निर्माण एजेन्सी के सम्बन्धित प्रभारी उपयंत्री तथा अन्य ग्रामवासियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत सरई द्वारा बताया गया करीब 85 मीटर शासकीय भूमि उपलब्ध नही होने के कारण निर्माण कार्य शकर्षण तिवारी के घर तक नही कराया जा सका इसी बीच में नाला भी पडता है, जिसमें पुलिया निर्माण प्राक्कलन में स्वीकृति न होने के कारण कार्य नही कराया गया, इसके बदले कोलान टोला मार्ग में लम्बाई में वृद्धि कर कार्य कराया गया।

6. शिकायतकर्ता द्वारा कोलानटोला से छूही गड़ई हरिजन बस्ती तक छूही गड़ई से गजरा डंडी तक का कार्य आंशिक बताया गया एव 60 प्रतिशत राशि गवन बताई गई है जबकि उक्त कार्य लोक निर्माण एजेन्सी को सौंपे नही गये, उपयंत्री श्री मिश्रा द्वारा बताया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रमांक 391 दिनांक 15/05/2014 को प्रेषित शिकायत की जानकारी इसी कार्य की है, उल्लेख किया गया है। वर्तमान में किये गये कार्य पर डामरीकरण हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती जी द्वारा बताये गये जानकारी के आधार पर शिकायत निराधार एवं झूठी प्रतीत होती है।

अनुविभागीय अधिकारी	8-9-14 अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन देवसर	ग्रा. यां. सेवा उपसम्भाग देवसर
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)	जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

परिशिष्ट–2

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.2, बैढ़न
जिला – सिंगरौली (म.प्र.)
(प्लाट नं. 231 सेक्टर 1, नवजीवनविहार, विन्ध्यनगर)

पत्र क्र. 478/वि.स./पी.आई.यू.–2/2017 बैढ़न,दिनांक 19.03.017

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग सिंगरौली
संभाग–सिंगरौली (म.प्र.)

विषय :विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 7899 द्वारा श्रीमती ऊषा चौधरी, विधायक जी।
संदर्भ :आपका पत्र क्रमांक 4586/तक/वि.स./2016–17 दिनांक 16.03.2017।

––00––

पूरक जानकारी

विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि अतारांकित प्रश्न क्रमांक 7899 के प्रश्नांश 'ग' द्वारा वांछित जानकारी ग्राम निगरी में जगत चौराहा से अमहाटोला निवास होते हुये हर्दी रेल्वे स्टेशन पंहुचमार्ग का निर्माण इस पी.आई. यू. द्वारा नहीं किया गया है। इस पी.आई.यू. द्वारा मार्ग एस.एच.–49 (निवास) से हर्दी लंबाई 4.85 कि.मी. की स्वीकृति प्रथम बार 2008–09 में मिली थी इस मार्ग के निर्माण कार्य का अनुबंध 03.10.2008 में किया गया था। मार्ग का निर्माण कार्य 31.05.2010 को पूर्ण कर लिया गया था। मार्ग पर भारी यातायात का परिवहन होने के कारण मार्ग के अपग्रेडेशन के प्राक्कलन की पुनः स्वीकृति आदेश क्रमांक 695 भोपाल दिनांक 13.01.2016 को प्राप्त कर मार्ग कि निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा स्वीकृति पश्चात मार्ग के निर्माण कार्य का अनुबंध दिनांक 06.04.2016 को किया गया है। मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। माह मई–2017 तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

for (पी.एस.चौहान)
महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, क्र.2 बैढ़न
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)